उत्तर प्रदेश सरकार
गृह(पुलिस)अनुभाग–10
संख्याः 737 / 6–पु0–10–2009–27(7) / 08
लखनऊ–दिनांक 10 जून,2009

अधिसूचना

शुद्धि–पत्र

गृह(पुलिस)अनुभाग–10,उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्याः 210 / 6–पु0–10–2009–27(7) / 09,दिनांक 02.04.2009 द्वारा उ0प्र0 असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (क) में प्रकाशित उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली,2009 के हिन्दी रूपान्तर में नियम–6(ङ) "शारीरिक दक्षता परीक्षा"– में "––––पुरूष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर की दौड़ 60 मिनट में तथा महिलाओं के लिए 05 किलोमीटर की दौड़ 35 मिनट में पूरी करने की अपेक्षा की जाएगी––––" के स्थान पर "त्रुटिवश ––––पुरूष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर की दौड़ 35 मिनट में पूरी करने की अपेक्षा की जायेगी––––" मुद्रित हो गया है। अतः उक्त सेवानियमावली के हिन्दी रूपान्तर नियम–6(ङ) को एतदद्वारा निम्नवत संशोधित किया जाता है:–

6 (ङ) "शारीरिक दक्षता परीक्षा"–

"....................पुरूष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर की दौड़ 60 मिनट में तथा महिलाओं के लिए 05 किलोमीटर की दौड़ 35 मिनट में पूरी करने की अपेक्षा की जाएगी................."

अतः उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा(प्रथम संशोधन)नियमावली,2009 को इस सीमा तक संशोधित पढ़ा एवं समझा जाय।

आज्ञा से,

कुँवर फतेह बहादुर
प्रमुख सचिव।

––2